प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ताकि इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के समक्ष रखा जा सके।

दिल्ली परिवहन निगम की स्थापना 1971 में सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के तहत एक वैधानिक निगम के रूप में की गई थी, जिसे दिल्ली सड़क परिवहन कानून (संशोधन) अधिनियम, 1971 द्वारा संशोधित किया गया था, ताकि दिल्ली में एक कुशल, किफायती और उचित रूप से समन्वित सड़क परिवहन सेवा प्रदान की जा सके।

2015-16 से 2021-22 की अवधि से संबंधित इस प्रतिवेदन में "दिल्ली परिवहन निगम की कार्यप्रणाली" पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं जो 2015-16 से 2021-22 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान दृष्टिगत हुए; परंतु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके; जहां आवश्यक हुआ वहां वर्ष 2021-22 के बाद के मामले भी शामिल किए गए हैं।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।